न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 120/2020 (2020/00..391..) दर्ज दिनांक 25.08.2020
वाद— अन्तर्गत धारा —वाद बाबत् घोषणा

शीर्षक

1. महावीर पिता मनोहरलाल खाब्या निवासी अस्पताल रोड़ , चितौड़ी पोल के पास , पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. सुनिल पिता मनोहरलाल खाब्या निवासी अस्पताल रोड़ , चितौड़ी पोल के पास , पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. भूपेश पिता मनोहरलाल खाब्या निवासी अस्पताल रोड़ , चितौड़ी पोल के पास , पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. बसन्ता देवी पुत्री मनोहरलाल खाब्या निवासी अस्पताल रोड़ , चितौड़ी पोल के पास , पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5. विमला देवी पुत्री मनोहरलाल खाब्या निवासी अस्पताल रोड़ , चितौड़ी पोल के पास , पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. कैलाश पिता रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. सुशीला पुत्री रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. संजूड़ी पुत्री रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्ता वादीगणः— श्री संतोष कुमार पारीक
अधिवक्ता प्रतिवावादीः— श्रीमती विद्या गोस्वामी (प्रति0 सं0–2)
पैरोकार सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

वाद बाबत् घोषणा

निर्णय

दिनांक 03.09.2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत वाद बावत् घोषणा का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम माकड़िया, पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में निम्न आराजियात अवस्थित चली आ रही है, जिसके आराजी संख्या 2125 रकबा 0.68, 2126 रकबा 0.40 हे0, 2206/2119 रकबा 0.59 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हे0 भूमियां वादीगण की माता दयाल देवी के नाम पर पूर्ण हिस्से से राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित चली आ रही है।

यह कि उपरोक्त भूमियां संवत् 2061 से 2064 में खाता संख्या 1 पर आराजी संख्या 2206/2119 रकवा 0.59 हे0 तथा खाता संख्या 49 पर आराजी संख्या 2125 रकबा 0.68 हे0, 2126 रकवा 0.40 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.08 हे0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में अभिलिखित थी। उपरोक्त भूमियों को वादीगण की माता दयाल देवी पत्नि मनोहरलाल खाब्या ने दिनांक 11 सितम्बर 2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया , तब से उपरोक्त भूमियां वादीगण की माता दयाल देवी एवं उनके निधन के पश्चात् वादीगण क अधिकार आधिपत्य में होकर उसका उपायेग उपभोग वादीगण निर्बाध रूप से कर रहे है परन्तु वक्त पंजीयन विक्रय पत्र में क्रेता वादीगण की माता श्रीमती दयाल देवी के पति का नाम मनोहरलाल के बजाए रामदयाल खाब्या टंकणीय भूल से अंकित हो गया और उसी अनुसार उप पंजीयक महोदय द्वारा विक्रय पत्र का पंजीयन भी कर दिया गया , जिससे विक्रय पत्र में सेवन से कोई भूल सुधारनीय है।

यह कि वादीगण मूलतः पुर गांव के निवासी होकर अस्पताल रोड़, चितौड़ी पोल के पास , पुर तहसील जिला भीलवाड़ा में निवास करते है। वादीगण की माता यहीं निवास करती थी तथा विक्रय पत्र में वादीगण की माता का नाम सेवन से श्रीमती दयाल देवी पत्नी रामदयाल खाब्या उम्र 65 वर्ष निवासी अस्पताल रोड़, चितौड़ी पोल के पास , पुर अंकित कर दिया था जबकि वास्तविक रूप से वादीगण की माता का नाम श्रीमती दयाल देवी पत्नी मनोहरलाल खाब्या उम्र 65 वर्ष निवासी अस्पताल रोड़, चितौड़ी पोल के पास , पुर है। राजस्व रेकार्ड में वादीगण की माता द्वारा चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात के पास अन्य खातेदारी की जमीन भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र कय की गई, जिन सभी विक्रय पत्रों में वादीगण की माता का नाम श्रीमती दयाल देवी पत्नी मनोहरलाल खाब्या उम्र 65 वर्ष निवासी अस्पताल रोड़, चितौड़ी पोल के [illegible] है और उसी अनुसार नामान्तरण संख्या 224, 222, 234 में तत्कालीन खातेदारान [illegible] वादीगण की माता का नाम क्रय शुदा भूमियां दर्ज हुई। नामान्तरण [illegible] त्रुटि के कारण

2.

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

श्रीमती दयाल देवी पत्नी रादयाल खाब्या के नाम दर्ज हुई। परन्तु राजस्व रेकार्ड में संवत् 2061 से 2064 के रोटेशन में खाता संख्या 1, 49 में अंकन के वक्त दयाल देवी पत्नि मनोहरलाल खाब्या अंकित कर दिया तथ्झा खाता संख्या 69, 226, 208

में दयाल देवी पत्नि मनोहरलाल खाब्या का अंकन किया गया तथा सवंत् 2065 से 2068 के रोटेशन में समस्त आराजियात में दयाल देवी पत्नि मनोहरलाल के बजाए दयाल देवी पत्नि मोहनलाल अंकित कर दिया, उसी अनुसार संवत् 2069 से 2072 में अंकित है। प्रमाण में प्रमाणित प्रतियां साथ संलग्न है।

यह कि वादीगण की माता का निधन हो जाने के पश्चात् जरिये विरासत नामान्तरण दर्ज कराने बावत् पटवारी हल्का भूणारा से सम्पर्क करने पर उक्त त्रुटि का पता चला , जिस पर समस्त विक्रयपत्र तथा पुराने रेकार्ड की जांच करने पर विक्रयपत्र में हुई त्रुटि की जानकारी हुई, जिस पर माफिक विक्रयपत्र दयाल देवी पत्नी मोहनलाल के बजाए दयाल देवी पत्नी मनोहरलाल का अंकन जरिये शुद्धि पत्र हो जाने से खाता संख्या 385 कायम हो गया तथा अवशेष आराजियात जिनका वर्णन चरण संख्या 1 में है, का अंकन खाता संख्या 81 मे दयाल देवी पत्नी मनोहरलाल खाब्य, निवासी अस्पताल रोड़, चितौड़ी पोल के पास , पुर के नाम दर्ज रेकार्ड है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि घोषणात्मक डिक्री ब्वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 इस अमल की सादर फरवाई जावे कि राजस्व ग्राम माकड़िया, पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आवादी में निम्न आराजियात अवस्थित चली आ रही है, जिसके आराजी संख्या 2125 रकबा 0.68, 2126 रकबा 0.40 हे0, 2206/2119 रकबा 0.59 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हे0 भूमियां वादीगण की माता दयाल देवी के नाम पर पूर्ण हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है जिसके वादीगण खातेदार काश्तकार है और तदनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराया जावें।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 18.08.2020 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि – वाद की कलम संख्या 1 को रेकार्ड अनुसार स्वीकार की है। एवं वाद पत्र की कलम संख्या 2, 3, 4 रेकार्ड एवं पत्रावली पर दस्तावेजानुसार स्वीकार की है। वाद पत्र की कलम संख्या 5 आंशिक स्वीकार है दयाल देवी पत्नि रामदयाल का नाम विक्रयपत्र [illegible] दर्ज किया गया। विक्रयपत्र में त्रुटि होने पर संबंधित पक्षकार [illegible] कराने से भी उक्त त्रुटि का संशोधन किया जा सकता [illegible] हो जाने से शुद्धि पत्र संभव नहीं होने से जरिये सक्षम न्यायालय के आदेश से ही उक्त संशोधन किया जा सकता है, जिससे वादी द्वारा यह वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध जमाब[illegible] खाता संख्या 385 में वादीगण

3.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

का नाम जरिये विरासत दयाल देवी पत्नी मनोहरलाल अंकित हुआ है, जिससे उक्त वाद स्वीकार होने योग्य है। तथा वाद की शेष कलम संख्या 6 से 10 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं।

इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या 1 रेकार्डनुसार व 2 को स्वीकार कर निवेदन किया कि दिनांक 11.09.2007 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र ग्राम माकड़िया के खता संख्या 81 पर आराजी संख्या 2206/2119 रकबा 0.59 हे0 तथा खाता संख्या 49 पर आराजी संख्या 2125 रकबा 0.68 हे0, 2126 रकबा 0.40 हे0 भूमि 1,16,160/— रूपये प्रतिफल की राशि प्राप्त कर श्रीमती दयाल देवी पत्नी मनोहरलाल खाब्या को विक्रय कर विक्रयपत्र निष्पादित कराया, जो दिनांक 13.09.2007 को पंजीकृत हुआ तथा उपरोक्त भूमि पर कब्जा श्रीमती दयाल देवी को सिपुर्द कर दिया, तब से दयाल देवी उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है तथा उनकी मृत्यु पश्चात् उनके वारिसान वादीगण काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। केवल मात्र विक्रयपत्र में श्रीमती दयाल देवी पत्नी रामदयाल खाब्या सेवन से अंकित कर दिया है। हमारे द्वारा उपरोक्त भूमियां श्रीमती दयालदेवी पत्नी मनोहरलाल खाब्या को ही विक्रय की थी, जिससे उनके वारिसान वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तथा वादपत्र की कलम संख्या 3 से 5 स्वीकार है तथा कलम संख्या 6 से 10 कानूनी होने से स्वीकार है। वादीगण उपरोक्त भूमि के मालिक होने से तथा हमारे द्वारा जायज प्रतिफल प्राप्त कर भूमियां जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय करने से वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 3, 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहेने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

वादीगण अधिवक्ता अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जावें।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों [illegible] वाद बाबत घोषणा यह न्यायालय वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझाता है अतएवं–

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:16 IST
Reason: SelfAttested

4.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

–: आदेश :–

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादीगण को राजस्व ग्राम माकड़िया, पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में नवीन खाता संख्या 81 पर स्थित आराजी संख्या 2125 रकबा 0.68, 2126 रकबा 0.40 हे0, 2206/2119 रकबा 0.59 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हे0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रेकार्ड में उनके नाम अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः— 120/2020 (2020/00.......) दर्ज दिनांक 25.08.2020
वाद— अन्तर्गत धारा —वाद बाबत् घोषणा

शीर्षक

1. महावीर पिता मनोहरलाल खाब्या निवासी अस्पताल रोड़ , चितौड़ी पोल के पास , पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. सुनिल पिता मनोहरलाल खाब्या निवासी अस्पताल रोड़ , चितौड़ी पोल के पास , पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. भूपेश पिता मनोहरलाल खाब्या निवासी अस्पताल रोड़ , चितौड़ी पोल के पास , पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. वसन्ता देवी पुत्री मनोहरलाल खाब्या निवासी अस्पताल रोड़ , चितौड़ी पोल के पास , पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5. विमला देवी ...... मनोहरलाल खाब्या निवासी अस्पताल रोड़ , चितौड़ी पोल के पास , पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. कैलाश पिता रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. सुशीला पुत्री रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. संजूड़ी पुत्री रामकरण गर्ग निवासी माकड़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्ता वादीगणः— [illegible] कुमार पारीक
अधिवक्ता प्रतिवादी [illegible] श्री [illegible] सिया गोस्वामी (प्रति0 सं0–2)
[illegible] एकतरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

1.

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्याः– 120/2020 (2020/000..391.....)
वाद– बाबत् घोषणा

डिक्री दिनांक 03.09.2020

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पारीक , प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्रीमती विद्या गोस्वामी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि -----x------ और इस वाद के खर्च लेखे -----x------ रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर -----x------ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित -----x------ द्वारा -----x------ को दी जाए।

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादीगण को राजस्व ग्राम माकड़िया, पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी में नवीन खाता संख्या 81 पर स्थित आराजी संख्या 2125 रकबा 0.68, 2126 रकबा 0.40 हे0, 2206/2119 रकबा 0.59 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.67 हे0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा राजस्व रेकार्ड में उनके नाम अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

डिक्री आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.12 15:40:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner